उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-68/2017/3738/पांच-8-2017-जी0(238)/2017
लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-279/पांच-8-2012-म0(25)/2012, दिनांक 28-02-2012 द्वारा डा0 सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। पुन: शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-521/पांच-8-2012-म0(25)/2012, दिनांक 24-03-2012 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ में की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के अधीन तैनात किया गया, जहां डा0 पाण्डेय द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। वर्ष 2014 में डा0 सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय का चयन एम0डी0(एनेस्थीसिया) में हो जाने के कारण दिनांक 04-07-2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 अध्ययनरत हो गये। पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त डा0 पाण्डेय ने पत्र दिनांक 14-07-2017 द्वारा सेवा में पुन: योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में डा0 पाण्डेय के पत्र दिनांक 14-07-2017 द्वारा किये गये अनुरोध एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय, एम0डी0(एनेस्थीसिया) को मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 30-09-2017 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

अजीत कुमार
विशेष सचिव।

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-68/2017/3738(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया डा0 सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 30-09-2017 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कराना भी सुनिश्चित करायें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ् सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई/लखमीपुर खीरी।

6- कोषाधिकारी, हरदोई/लखीमपुर खीरी।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-69/2017/3739/पांच-8-2017-जी0(238)/2017

लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2883/पांच-8-2014-म0(345)/2012, दिनांक 07-10-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 रश्मि की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ में की गयी। डा0 रश्मि अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी थी। प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 रश्मि, चिकित्साधिकारी की अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ में की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमनपुर खीरी के अधीन एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2- अत: सम्यक विचारोपरान्त डा0 रश्मि, चिकित्साधिकारी की अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ में की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी के अधीन एतदद्वारा तैनात किया जाता है। अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

3- डा0 रश्मि, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल दिनांक 30-09-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-10-2014 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

अजीत कमार
विशेष सचिव।

संख्या-69/2017/3739(1)/पांच-8-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।
4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद/लखनऊ मण्डल।
5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़/लखीमपुर खीरी।
8- कोषाधिकारी, प्रतापगढ़/लखीमपुर खीरी ।
9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।